न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः देवेन्द्र कुमार,
आई0ए0एस0

प्रा0पत्र सं0 01/2019 आ0व.अ.1955

राजस्थान सरकार जरिये जगदीश प्रसाद शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक, सिकराय जिलादौसा

..प्रार्थी

बनाम

श्रीराजेन्द्र प्रसाद मीना, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत डेंडा बसेडी तहसील सिकराय

..अप्रार्थी

उपस्थितः 1. श्रीमती सूरज बाई मीना, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार
अनुपस्थितः श्री सतीश कुमार पारीक, अधिवक्ता अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तुअधिनियम 1955 के तहत जप्तशुदा 10 क्विंटल गेहूँ मय बारदाना व बिना नंबरों के एक लाल रंग के डी0आई0 1035 ट्रैक्टर मय ट्रॉली (इंजन नं0 **KH5324E58902** व चेचिस नंबर **MEA2EE61KH2163021** को राजसात करने बाबत।

निर्णय दिनांकः 27.02.2025

1. सक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्त्‌ुअधिनियम–1955 इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय ने दिनांक 21.01.2019 को 10 क्विंटल गेहूँ मय बारदाना व बिना नंबरों के एक लाल रंग के डी0आई0 1035 ट्रैक्टर मय ट्रॉली (इंजन नं0 KH5324E58902 व चेचिस नंबर MEA2EE61KH2163021 को राजसात करने हेतु निवेदन किया है।

2. प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख तलब किया गया।

3. पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि दिनांक 26.12.2018 को जिला रसद अधिकारी दौसा के आदेशों की अनुपालना में प्रतर्वन निरीक्षक, दौसा श्री योगेश कुमार मिश्रा थाना परिसर मेहंदीपुर बालाजी तहसील सिकराय (दौसा) में डिटेन कर रखे गए गेहूँ की जांच करने पहॅचने पर मौके पर थानाधिकारी थाना मेंहदीपुर बालाजी द्वारा तहरीर प्रस्तुत कर बताया गया कि दिनांक 25.12.2018 को श्री संजय मय पुलिस पार्टी के टीकाराम पुत्र श्री रामखिलाडी मीना निवासी ग्राम–डेण्डान की सूचना पर जिसमें उन्होंने बताया कि सरकारी राशन के गेहूँ को डीलर राजेन्द्र मीना अपने मैसी ट्रैक्टर ट्रोली में भरवाकर ट्रैक्टर ड्राईवर मुकेश मीना निवासी मुडफोडा की ढाणी डेण्डान चला कर कहीं गेहूँ बेचने ले जा रहा हैं, जिसको नांदरी गांव में रूकवा रखा हैं। इस पर संजय सिंह एच.सी. 167 मय जाप्ता के रवाना होकर अटल सेवा केन्द्र गांव नांदरी पहुँचे तो रास्ते में एक ट्रैक्टर मैसी मय ट्रोली जिसमें 20 (बीस) कट्टे गेहूँ के भरे मिले। उक्त ट्रैक्टर पर मौके पर कोई ड्राईवर मौजूद नहीं मिला। मौजूद व्यक्तियों ने बताया कि ड्राईवर मुकेश मीना पुलिस को आते देख कर भाग गया। मौके पर मिले ट्रैक्टर मैसी मय ट्रोली जिसमें 20 कट्टे भरे हुए हैं, को श्री मोहर सिंह मीना निवासी डेण्डान से ट्रैक्टर को नांदरी से चलवा कर समय 11:00 **PM** पर थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखवाया गया। मौके पर थाना परिसर में बिना नम्बरों के एक लाल रंग के मैसी डीआई 1035 ट्रैक्टर मय ट्रोली (इंजन नम्बर के.एच. 5324E58902 व चेचिस नम्बर MEA2EE61[illegible]021) मशीन की सिलाई से सिले हुए 20 जूट के कट्टे रखे पाये गये [illegible] श्री नवलकिशोर मीना पुत्र रामखिलाडी मीना ग्राम डेण्डान ग्राम पंचायत डे[illegible] बसेडी तहसील सिकराय व श्री टीका राम मीना पुत्र रामखिलाडी मीना ग्राम डेण्डान ग्राम पंचायत डेण्डा बसेड़ी [illegible]ल सिकराय ने जरिये बयान बताया कि उक्त गेहूँ के कट्टे ग्राम पंचायत डेंडा बसेड़ी के उचित मूल्य दुकानदार श्री राजेन्द्र मीना के हैं, जो इन्हें दिनांक 25.12.2018 को रात्रि 8:00 बजे स्वयं के ट्रैक्टर ट्रोली में रखकर कालाबाजारी के लिये कही ले जा रहे थें। इन्होंने बताया कि ट्रैक्टर ट्रोली का पीछा कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:56:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

उसे नांदरी गांव के अटल सेवा केन्द्र के समीप ट्रैक्टर ट्रोली को रुकवा कर पुलिस को बुलवाया। इन्होंने बताया कि ट्रैक्टर ट्रोली श्री मुकेश मीना पुत्र श्री बतास्या मीना ढाणी मण्डफोड्या ग्राम डेण्डान को राजेन्द्र मीना ने घटना स्थल से भगा ले गया। दिनांक 27.12.2018 को व 28.12.2018 को प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत डेंड़ा बसेडी की उचित मूल्य दुकान की जांच की गई, जांच दौरान थोक विकेता गेहूँ केरोसीन व चीनी द्वारा आपूर्ति की गई राशन सामग्री, पॉश मशीन वितरण एवं भौतिक सत्यापन पर प्राप्त राशन सामग्री का आंकलन करने पर 1672.40 किलोग्राम गेहूँ की मात्रा अधिक पाई गई, जो कि मौके पर उपस्थित मौतविरानों के बयानों की पुष्टि करता हैं तथा पुलिस द्वारा डिटेन कर रखे गये गेहूँ की मात्रा भी यह सिद्ध करती है कि राशन डीलर अवैधानिक ट्रांजेक्शन करके गेहूँ की कालाबाजारी करता हैं। कुछ उपभोक्ताओ से पूछताछ करने पर व बयान में यह तथ्य सामने आया है कि राशन डीलर पोस मशीन पर फिंगर प्रिंट लगवा लेता है किन्तु गेहूँ नहीं देता है। इसी आकलन के आधार पर चीनी की मात्रा भी 222.50 किलोग्राम कम पाई गई। चीनी के स्टॉक रजिस्टर में दिनांक 13.6.2018 को एक साथ 03 क्विंटल चीनी का वितरण किया गया है जो संदिग्ध प्रतीत होता है। इस प्रकार श्री राजेन्द्र प्रसाद मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत डेंडा बसेड़ी तह. सिकराय द्वारा उक्त 20 कट्टे गेहूँ के भरे मशीन की हैं, जिसको सिलाई वाली जिनका वजन प्रति कट्टा 50 किग्रा. कुल वजन 10 क्वि० जिसकी एमएसपी 1840 प्रति क्वि० से कुल राशि 18400/–है जिसको कालाबाजारी करने हेतु ट्रैक्टर में भरवा कर चालक द्वारा ले जाया जा रहा था। उक्त गेहूँ मय बारदाना जब्त कर श्री जितेन्द्र शर्मा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत मीणा सीमलाको खुर्द बुर्द न करने को अग्रिम कार्यवाही तक सुपुर्द किया गया। इसी प्रकार ट्रैक्टर लाल रंग मय ट्रैक्टर ट्रोली डी.आई. मैसी एनएफ 1035 इंजन नम्बर के.एच. 5324E58902 व चेचिस नम्बर MEA2EE61KH2163021 जिसकी अनुमानित कीमत 250000/– रूपये (दो लाख पचास हजार रूपये मात्र) व ट्रोली जिसकी अनुमानित कीमत 50000/–रूपये (पचास हजार रूपये मात्र) को प्रवर्तन निरीक्षक श्री योगेश कुमार मिश्रा ने थाना परिसर से जब्त कर थानाधिकारी मेंहदीपुर बालाजी को सुपुर्द किया गया। इस ट्रैक्टर व ट्रैक्टर ट्रोली का उपयोग राशन सामग्री के अवैध परिवहन में किया जाना पाया गया है। अतः ट्रैक्टर व ट्रैक्टर ट्रोली को राजसात करने के आदेश फरमावें। श्री राजेन्द्र प्रसाद मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत डेंडा बसेडी तहसील सिकराय द्वारा उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय हैं। उचित मूल्य दुकानदार श्री राजेन्द्र प्रसाद मीना के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना मेंहदीपुर बालाजी में प्रथम सूचना रिपोर्ट 01/2019 दर्ज करा दी गई हैं। अतः जब्त किये गये समस्त 10 क्वि०गेहूँ मय बारदाना एवं ट्रैक्टर लाल रंग मय ट्रैक्टर ट्रोली डी.आई. मैसी एनएफ 1035 इंजन नम्बर के.एच. 5324E58902 व चेचिस नम्बर MEA2EE61KH2163021 को राजसात करने के आदेश फरमावें।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।इससे पूर्व भी अधिवक्ता अप्रार्थी को बहस हेतु दिनांक 21.5.2024, 03.07.2024, 24.7.2024 व दिनांक 4.9.2024, 7.10.2024 को भी बहस हेतु अवसर दिया गया था किन्तु अधिवक्ता अप्रार्थी बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए।
5. विभागीय पैरोकार सरकार की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 25.12.2018 को पुलिस थाना मेहन्दीपुर बालाजी को डीलर राजेन्द्र प्रसाद मीना राशन के गेहूँ ले जाने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर जांच की गई जिसके तहत ट्रैक्टर चालक मुकेश मीना ट्रैक्टर को छोडकर भाग जाना पुलिस केस डायरी में अंकित किया गया है। इसी क्रम में प्रवर्तन निरीक्षक दौसा द्वारा दिनांक 26.12.2018 को की गई जिसमें 20 कट्टे मिले जिसके बारे में मौके पर उपस्थित श्री नवलकिशोर मीना पुत्र श्री रामखिलाडी मीना निवासी ग्राम डेन्डान व टीकाराम मीना पुत्र श्री रामखिलाडी मीना निवासी डेन्डान ग्राम पंचायत डेंडा बसेडी तहसील सिकराय के बयान लिये जिन्होंने उक्त गेहूँ के कट्टे ग्राम पंचायत डेंडा बसेडी के उचित मूल्य दुकानदार श्री राजेन्द्र मीना के होना बताया गया जो रात्रि में लगभग 8.00 बजे स्वयं के ट्रैक्टर ट्रॉली में रख कर कालाबाजारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:56:36 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर,दौसा

हेतु ले जाया जा रहा था। इससे स्पष्ट होता है कि ट्रैक्टर चालक राशन के गेहूँ ले जा रहा था। पुलिस जांच के दौरान पुलिस थाना मेहन्दीपुर बालाजी द्वारा पकडा गया ट्रैक्टर मय ट्रॉली बिना नंबर के लाल रंग के मैसी डीआई 1035 इंजन के.एच- 5324E58902 व चेचिस नम्बर MEA2EE61KH2163021 गेहूँ के 20 कट्टे भरे हुए मिलने पर जब्त किया गया जिसकी गहनता से जांच करने पर उक्त जब्त गेहूँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन कार्ड पर वितरण करने वाला होने की पुष्टि होने पर उक्त ट्रैक्टर मय ट्रॉली जब्त किया गया है जिसकी थाना मेहन्दीपुर बालाजी पर प्राथमिकी सं0 01/2019 दर्ज है। ट्रैक्टर मय ट्रॉली बिना नंबर के लाल रंग के मैसी डीआई 1035 इंजन के.एच. 5324E58902 व चेचिस नम्बर MEA2EE61KH2163021गेहूँ का अवैध परिवहन करना पाया जाता है। साथ ही जब्त किया गया गेहूँ भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होना सिद्ध होता है। डीलर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया है। हम प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाता है एवं जब्तशुदा 10 क्विंटल गेहूँ मय बारदाना एवं मय ट्रैक्टर ट्रॉली बिना नंबर के लाल रंग के मैसी डीआई 1035 इंजन के.एच. 5324E58902 व चेचिस नम्बर MEA2EE61KH2163021 को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त कलैक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चंद पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन राजसात करने की दशा में वाहन की एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रर्वतन निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार ट्रैक्टर की कीमत 2,50,000/–रू0 है जिस पर 1,60,000/–रू0 का जुर्माना लगाया जाता है एवं ट्रोली की कीमत 50,000/– रू0 है जिस पर 30,000/–रू0 का जुर्माना लगाया जाता है, और यदि वाहन स्वामी उपरोक्त दोनों में से जिसका जुर्माना अदा कर देवें तो जिला रसद अधिकारी उक्त वाहन को नियमानुसार वाहन स्वामी को सुपुर्द कर देवे अन्यथा नियमानुसार वाहन को विक्रय किया जाकर विक्रय राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवायें।

8. जिला रसद अधिकारी दौसा को आदेश दिया जाता है कि उक्त जब्तशुदा राशन सामग्री 10 क्विं0 गेहूँ मय बारदाना एवं ट्रैक्टर मय ट्रॉली बिना नंबर के लाल रंग के मैसी डीआई 1035 इंजन के. एच. 5324E58902 व चेचिस नम्बर MEA2EE61KH2163021 का नियमानुसार निस्तारण करावे। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कब हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 27 फरवरी, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समवाधि के भीतर की जा सकेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:56:36 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा